सेवा में, दिनांक:

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला

विषय: *अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम, 2006, के क्रियान्वयन को लेकर हिमाचल के जन जातीय क्षेत्रों में समस्याएं बाबत।*

महोदय,

हम हिमाचल के जन जातीय क्षेत्र के निवासी आपका ध्यान अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम, 2006 (वन अधिकार कानून) के प्रभावी ज़मीनी क्रियान्वयन को लेकर आ रही समस्याओं पर लाना चाहते हैं जिसमें आपकी तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम निम्न तथ्य व मुद्दे आपके समक्ष रखना चाहते हैं-

1. **वन संसाधनों पर ऐतिहासिक निर्भरता:** जन जातीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र फल का 90% प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा वन भूमि है जिसमें जन जातीय समुदायों के लोग अपनी आजीविका, घास-चारे, पानी के स्रोतों, जलाऊ लकड़ी, टीडी व जड़ी बूटियां आदि के लिए निर्भर हैं और जिनके बिना हमारा जीवनयापन नहीं हो सकता। साथ ही पारम्परिक रूप से वन भूमि व अन्य प्राकृतिक स्रोत, हमारे जन जातीय सामाज के लिए सांस्कृतिक धरोहर और आस्था का केंद्र रहें हैं और हमारे बहुत से देवी देवता के पूजा स्थल भी वन भूमि पर स्थित हैं।
2. **निजी भूमि का अभाव:** ऐतिहासिक तौर पर देखें तो किन्नौर और लाहौल-स्पिति में सामाजिक और पारिवारिक ढाँचा ऐसा रहा जिसमें निजी भूमि का बँटवारा नहीं हुआ। जिससे बहुत कम निजी भूमि में ही सैकड़ों सालों से यहाँ के जन जातीय समाज ने निर्वाह किया है। इसी कारण से पूरे जन जातीय क्षेत्र में कुल भगौलिक क्षेत्र फल का मात्र 1.18% हिस्सा ही निजी भूमि के रूप में हैं जिसमें केवल 0.5% क्षेत्रफल में ही खेती होती है। समय के साथ परिवर्तन होने से व निजी भूमि का परिवार में बँटवारा होने से आज जन जातीय क्षेत्रों में लोगों के पास अपने जीवनयापन के लिए निजी भूमि का अभाव है ।
3. **क्षेत्र की कठिन परिस्थितियां:** हिमाचल के जन जातीय क्षेत्र, उच्च हिमालय में स्थित होने के कारण दुर्गम और सीमांत है और यहां का मौसम ठंडा व सवेंदनशील है, जिसके चलते स्थानीय लोग साल में केवल गर्मियों में ही एक फसल बीज पाते है। औसत जोत भूमि मात्र 0.75 हेक्टेयर (2 एकड़ से कम) है जिसके कारण आज सरकार से पूरे जन जातीय क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग निजी भूमि के लिए है।

4. **नौतोड़ ज़मीन मिलने में रुकावटें:** आज के दिन हजारों की तादाद में, नौतोड़ नियम 1971 के तहत मिलने वाली पट्टे की ज़मीन के लिए आवेदन पत्र अस्सी के दशक से तहसीलदार कार्यालय में लंबित पड़े हैं। 1980 के वन संरक्षण कानून और और अन्य कानूनी अडचनों के चलते, नौतोड़ की मिसलों पर पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं और लंबे समय से चल रहे उचित भूमि आवंटन के अभाव में कई आवदेनकर्ता परिवारों और अन्य परिवारों ने आजीविका चलाने के लिए मजबूरी में खेती शुरू कर दी। पिछले 2 से 3 दशक बीत जाने पर भी सरकारी आश्वासनों के बावजूद इस भूमि पर मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। जो की बिना क़ानूनी पट्टे के आज के दिन बेदखली के डर में जी रहे हैं।
5. **बेदखली का खतरा:** ऐसे ही वर्ष 2018 में किन्नौर के वन विभाग ने स्थानीय 97 परिवारों के ऊपर बेदखली के नोटिस जारी कर दिए थे. लेकिन वन अधिकार कानून के तहत दावा भरे होने और खुद को अधिकार धारक स्थापित करते हुए, इन लोगों ने माननीय शिमला उच्च न्यायलय को याचिका दायर की व दिनांक 9/07/2018 को दिए गए आदेश के चलते अभी तक बचे हुए हैं। कुछ ऐसा ही स्पिति के 7 परिवारों के साथ हुआ जो की इसी कानून के कारण बेदखली से बच पाए।
6. **वन अधिकार कानून के तहत राहत:** वन आश्रित समुदाय जो वन भूमि का उपयोग अपनी आजीविका के लिए कर रहे हैं वन अधिकार कानून उस उपयोग को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें खेती और निवास के लिए वन भूमि का उपयोग भी शामिल है। कानून की धारा 4(1) के तहत *वन निवासी समुदायों को धारा 3 में उल्लेखित वन अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है व उनमें निहित करती है.* और धारा 4(5) स्पष्ट करती है की *जबतक वनाधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती , तब तक किसी भी अधिभोगी को उनकी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता* ।
7. **जन जातीय क्षेत्रों में कानून लागू करने में हिमाचल की स्थिति-** कानून को लागू हुए 12 साल बीत जाने के बाद भी धरातल में अभी तक केवल 7 गाँव को सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे भरमौर में और 76 व्यक्तिगत वन अधिकार के पट्टे लाहौल में दिए गए हैं। जबकि देश भर में 3 मार्च 2019 तक करीब 14.33 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर 19 लाख के करीब व्यक्तिगत दावों पट्टा दिया है जिसमें से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 4 लाख से ऊपर और मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में 2 लाख के करीब है। साथ ही 88 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर 17 हज़ार सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे दिए हैं। (रिपोर्ट संग्लग्न) किन्नौर जिले में जहाँ 51 गाँव ने सामुदायिक वन अधिकारों के साथ 2500 से ज्यादा व्यक्तिगत दावे भरे वहां ज़िला स्तरीय समिति ने अभी तक केवल लिप्पा गावं के सामुदायिक दावे को मंजूरी मिली है लेकिन 1.5 वर्ष से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी कानून अनुसार अभी तक उनको पट्टे जारी नहीं किये हैं।

8. **FRA पर प्रशासनीय उदासीनता की वजह से दावे लंबित:** इसी संदर्भ में जन जातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए वन अधिकार कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है और सैकड़ों लोगों ने इस कानून के तहत अपने सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे भरकर उप खंड स्तरीय समिति (और ज़िला स्तरीय समिति) के पास जमा भी कराये हैं। लेकिन यह समितियां लोगों के द्वारा भरे गए वन अधिकार के दावों को लंबे समय से विचारधीन रख या तो इनपर निर्णय नहीं ले रही या इन दावा फाइलों को बार बार तर्कहीन त्रुटियाँ लगा कर ग्राम सभा को वापस कर रह हैं । लॉक डाउन के समय भी DLC की बैठकें बड़ी परियोजनाओं की वन मंजूरी के मामलों को लेकर हो रही हैं लेकिन स्थानीय लोगों के वन अधिकार के दावों को लेकर कोई मीटिंग नहीं हो रही है। जबकि राज्य सरकार और राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा वन अधिकार कानून को मिशन के तौर पर जल्द से जल्द लागू करने की बात कही गई है। (https://www.thestatesman.com/cities/himachal-to-implement-forest-rights-act-in-mission-mode-1502716456.html)
9. **FRA के बारे में भ्रांतियां:** सरकार के विभिन्न नुमायिन्दों की तरफ से यह तर्क दिया जाता है की कानून के अंदर बड़े किसानों के दावे हैं पर एक अध्ययन अनुसार किन्नौर जिले में अभी तक वन अधिकार के जितने व्यक्तिगत दावे किये गए हैं, उनमें से 81% दावे 5 बीघा (1 एकड़) से कम के हैं और जिसमें 95% दावे सीमांत, छोटे और मझले किसानों के हैं।
(http://himdhara.org/wp-content/uploads/2018/12/FRA_Report_finalll.pdf)
10. **FRA के प्रावधानों की अवहेलना:** वहीँ दूसरी ओर 17 दिसम्बर 2018 को, समिति के तीन सरकारी सदस्यों ने समिति के अन्य 3 गैर सरकारी सदस्यों की बातों को दरकिनार करते हुए लिप्पा ग्राम सभा के ही 47 व्यक्तिगत वन अधिकारों को नामंज़ूर करने का फैसला दिया जिसमें जो कानूनी रूप से गलत व आधारहीन हैं। जिसमें इन 47 दावेदारों ने अपने दावा फॉर्म में ST सर्टिफ़िकेट लगाने के बावजूद DLC के सरकारी सदस्यों ने दावा नामंजूर करने का एक कारण यह भी दिया की कानून अनुसार इन लोगों ने 3 पीड़ियों से वन भूमि पर अपनी निर्भरता साबित नहीं किया है जो की कानून अनुसार जन जातीय लोगों के लिए नहीं है। ऐसे गलत निर्णय के बाद इन 47 दावेदारों के खिलाफ बेदखली शुरू करने की प्रक्रिया के आदेश भी जारी कर दिए। ऐसे हालत में सभी 47 दावेदारों को DLC के निर्णय को हाई कोर्ट शिमला में चुनौती देनी पड़ी और माननीय कोर्ट ने केस में अंतिम निर्णय आने तक बेदखली पर रोक लगा दी। (DLC आर्डर के मिनट्स संलग्न)

महोदय, यह कानून सदियों से वन आश्रित समुदायों के साथ हो रहे ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने वन संरक्षण में वन आश्रित समुदाय की भूमिका को मान्यता देना और उनके वन अधिकारों को कानूनी मान्यता देने के लिए भारतीय संसद द्वारा 2006 में पारित किया गया। लेकिन आज इतने साल गुजरने

के बाद भी हिमाचल में इस क़ानून की क्रियान्वयन में राज्य तंत्र का रवैया अत्यंत उदासीनता भरा रहा है ऐसी परिस्थिति में हम जन जातीय क्षेत्र के किसान, पशु पालक और अन्य गरीब - वंचित परिवार और समुदाय जिनका जीवन वन भूमि पर टिका हुआ है और जिन्होंने वन अधिकारों के लिए दावा भरे हैं उनका क्या होगा- जब स्थानीय प्रशासन इन पर कानून अनुसार निर्णय नहीं ले रहे हैं । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए महोदय हम आपके समक्ष निम्न मांगों पर शीघ्र कार्यवाही का निवेदन करते हैं :-

1. जन जातीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन विशेष रूप से ज़िलाधीश और उप मंडल अधिकारी जो की ज़िला स्तरीय समिति और उप मंडल स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं और कानून अनुसार वन अधिकार को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार भी, को स्पष्ट निर्देश दिए जायें की **जो भी वन अधिकार के दावे समिति के पास आयें हैं उन पर समयबद्ध व न्यापूर्ण तरीके से निपटारा किया जाये**।
2. कानून अनुसार **नियमित रूप से SDLC और DLC की मीटिंग** की जाए और निर्णयों में गैर सरकारी जन जातीय सदस्यों की भागेदारी को सुनश्चित किया जाये ।
3. वन अधिकार कानून को लेकर **जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए जाएँ** जिससे की दूर दराज के गाँव में रहने वाले जन जातीय लोग भी इस कानून की जानकारी प्राप्त कर अपने वन अधिकार के दावे भर पायें। हिमाचल के ट्राइबल डिपार्टमेंट ने वन अधिकार कानून पर **ट्रेनिंग मैन्युअल और प्रचार सामग्री तैयार की है जिसे जन जातीय क्षेत्रों की सभी वन अधिकार समितियों को मुहैया** करना चाहिए।

महोदय, आशा है आप राज्य के वन आश्रित जन जातीय समुदायों के हितों की सुरक्षा व उनको न्याय दिलाने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम, 2006 को जन जातीय क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन को उचित दिशा निर्देश जारी करेंगे।

धन्यवाद

प्रार्थी